# राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर

परिवहन मार्ग, चौमू हाऊस, जयपुर 302001
कार्यालय दूरभाष : 0141–2374644
Email address :rsrtc.emchecking@gmail.com

क्रमांकःएफ. ( )/मुख्या/याता/निरी/2025/190 दिनांकः 5/6/25

## कार्यालय आदेश

निगम में वाहनों के सुगम संचालन एवं निरीक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के उदेश्य से निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है–

1. आगारों में कार्यरत प्रबन्धक (यातायात)/यातायात निरीक्षक/सहायक यातायात निरीक्षक सप्ताह में तीन दिवस केवल शनिवार, रविवार एवं सोमवार को ही निरीक्षण कार्य करेंगे। शेष दिवसों में आदेश क्रमांक मु/एफ–3/याता.परि/17 /332 दिनांक 04.09.2017 द्वारा निरीक्षण हेतु अधिकृत किये गये अन्य संवर्ग के कार्मिकों द्वारा निरीक्षण कार्य किया जायेगा। उक्तानुसार निरीक्षण कार्य हेतु आगार के मुख्य प्रबन्धक द्वारा चैकिंग शिड्यूल तैयार किया जावेगा।
2. निरीक्षण हेतु अधिकृत अन्य संवर्ग के कार्मिकों द्वारा स्वयं के आगार क्षेत्र के निकटवर्ती आगार क्षेत्र में स्वयं के आगार के साथ–साथ अन्य आगारों की वाहनों का निरीक्षण भी किया जा सकेगा।
3. मंगलवार से शुक्रवार तक प्रबन्धक (यातायात)/यातायात निरीक्षक/सहायक यातायात निरीक्षक आगार कार्यालय/बुकिग घरों पर उपस्थित रहेंगे।
4. बुकिंगघरों पर उपस्थित रहकर प्रबन्धक (यातायात)/यातायात निरीक्षक/ सहायक यातायात निरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि वाहन प्रस्थान से पूर्व सभी यात्री बुकिंग घर से टिकिट के साथ ही वाहन में सवार हो तथा प्रत्येक वाहन बुक होकर ही प्रस्थान हो। यदि स्टैण्ड से वाहन रवाना होने के पश्चात् वाहन में बिना टिकिट यात्री पाये जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आगार के प्रबन्धक (यातायात)/यातायात निरीक्षक/सहायक यातायात निरीक्षक की होगी।
5. प्रबन्धक (यातायात)/यातायात निरीक्षक/सहायक यातायात निरीक्षक परिचालकों को अपने सुपरविजन में ईटीआईएम मशीन जारी करवायेंगे तथा वाहन के मार्ग से ऑफ होने पर ईटीआईएम मशीन अपने सुपरविजन में खाली करवायेगे तथा परिचालक की डीवीआर का अवलोकन कर परिचालक बुकिंग एवं स्टैण्ड बुकिग की आय का विश्लेषण कर सुनिश्चित करेंगे की मार्ग में पडने वाले सभी बुकिग घरों के डीएसए संलग्न है।
6. निरीक्षण की जाने वाली प्रत्येक वाहन का वीडियो अपलोड किया जाना आवश्यक है। यदि किसी वाहन का वीडियो अपलोड नहीं किया जाता है तो वाहन चैकिंग मान्य नहीं होगी। रेड़मार्क लगने एवं वीडियो अपलोड नहीं किये जाने की स्थिति में रेड़मार्क मान्य नहीं होगा एवं निरीक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
7. परिचालक द्वारा भी निरीक्षकों को ईटीआईएम मशीन देने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि निरीक्षक द्वारा वाहन का वीडियो बनाया जा रहा है। जिस वाहन का निरीक्षण किया जा रहा है, उसका परिचालक भी निरीक्षण के समय वाहन का वीडियो बनायेगा।

उक्त निर्देशों की पालना नहीं किये जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से प्रभावी होगें।

(पुरूषोत्तम शर्मा )
प्रबन्ध निदेशक

Scanned with OKEN Scanner

क्रमांकःएफ. ( )/मुख्या/याता/निरी/2025/190 दिनांकः 5/6/25
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निजी सचिव, श्रीमान् अध्यक्ष महोदया, रापनिगम, मुख्यालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, श्रीमान् प्रबन्ध निदेशक महोदय, रापनिगम, मुख्यालय, जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष.......................................रापनिगम, मुख्यालय, जयपुर।
4. समस्त जोन प्रभारी, रापनिगम, .............................. जोन।
5. मुख्य प्रबंधक,रापनिगम, ........................................आगार।
6. श्री .................................. पद ............................... रापनिगम, ................................आगार।
7. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. ज्योति चौहान )
कार्यकारी निदेशक (यातायात)